न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
98 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	28.12.2020	20.06.2022

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.......आवेदक

बनाम

1—श्री निहाल चन्द जैन पुत्र श्री बद्रीलाल जैन निवासी स्टैट बैंक की गली दीनदयाल कॉलोनी निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी स्टेडियम के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक

2— मैसर्स अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी स्टेडियम के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक

3—श्रीमति इन्द्रा देवी जैन पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार जैन निवासी वार्ड नं. 15, निमोडिया मोड, गोपाल कुंज कॉलोनी, प्लॉट नं. 11, चाकसू, जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स श्री पार्श्व प्रज्ञा एन्टरप्राईजेज प्लॉट नं. 15, निमोडिया मोड चाकसू जिला जयपुर

4—मैसर्स श्री पार्श्व प्रज्ञा एन्टरप्राईजेज प्लॉट नं. 15, निमोडिया मोड चाकसू जिला जयपुर

5—श्री रामस्वरूप चौधरी पुत्र श्री रामजीवन जाट निवासी सी—100—ए, चौधरी सदन, भागीरथ मार्ग, श्याम नगर सोडाला जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स चौधरी टी कम्पनी जे—7, श्याम नगर सोडाला जयपुर राज.

6—मैसर्स चौधरी टी कम्पनी जे—7, श्याम नगर सोडाला जयपुर

......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार उपस्थित।

2—अप्रार्थी सं. 1,2 व 5,6 की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार जैन तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 स्वयं उपस्थित।

:—निर्णय—: दिनांक 20.06.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.08.2020 को समय 05:00 पी.एम. पर मैसर्स अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी स्टेडियम के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ श्री निहाल चन्द जैन पुत्र श्री बद्रीलाल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री निहाल चन्द जैन ने स्वयं को मैसर्स अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी स्टेडियम के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में घी, तेल, गुड व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दुकान की रैक में 45 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 250–250 ग्राम पैक **सीटीसी लीफ चाय (चौधरी रॉयल ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर विक्रेता श्री निहाल चन्द जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री निहाल चन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **सीटीसी लीफ चाय (चौधरी रॉयल ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर अनुपस्थित एवं पैंकिंग की दिनांक जुलाई 2020 थी, वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किए जा रहे है, 250–250 ग्राम के 8 मूल पैक खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **सीटीसी लीफ चाय (चौधरी रॉयल ब्राण्ड)** 250–250 ग्राम के 8 मूल पैक को ज्यों का त्यों दो–दो नग के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2546 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–2546 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

श्री निहाल चन्द जैन पुत्र श्री बद्रीलाल जैन मैसर्स अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी स्टेडियम के पास झिलाई रोड निवाई जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया। इस बाबत आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पत्र प्रेषित कर बतौर वारन्टी खरीद बिल चाहा गया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स श्री पार्श्व प्रज्ञा एन्टरप्राईजेज प्लॉट नं. 15, निमोडिया मोड चाकसू जिला जयपुर का खरीद बिल प्रेषित कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक ने मैसर्स श्री पार्श्व प्रज्ञा एन्टरप्राईजेज प्लॉट नं. 15, निमोडिया मोड चाकसू जिला जयपुर को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5ए व आवश्यक दस्तावेज चाहे गये। जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म के दस्तावेज के साथ बतौर वारन्टी मैसर्स चौधरी टी कम्पनी जे–7, श्याम नगर सोडाला जयपुर का खरीद बिल प्रेषित कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स चौधरी टी कम्पनी जे–7, श्याम नगर सोडाला जयपुर पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5ए व आवश्यक दस्तावेज चाहे गये जिसके

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म के दस्तावेज प्रेषित कर उपरोक्त फर्म का प्रोपरायटर श्री रामस्वरूप चौधरी पुत्र श्री रामजीवन जाट को होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/3061 दिनांक 09.09.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/1166/एक्ट/2020/1238 दिनांक 27.08.2020 के अनुसार विक्रेता श्री निहाल चन्द जैन से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **सीटीसी लीफ चाय (चौधरी रॉयल ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा **3(1)(zf)(C)(i)** के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्राथीगण ने **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का **सीटीसी लीफ चाय (चौधरी रॉयल ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी सं. 1,2 तथा 5,6 की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार जैन उपस्थित हुए एवं जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी सं. 3,4 श्रीमति इन्द्रा देवी जैन ने भी स्वयं उपस्थित होकर अपना जुर्म स्वीकार किया। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **सीटीसी लीफ चाय (चौधरी रॉयल ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सीटीसी लीफ चाय (चौधरी रॉयल ब्राण्ड)** नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रू0), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रू0) तथा अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रू0) आरोपित जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.06.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

([illegible])
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक